भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 606
दिनांक 06.02. 2024/17 माघ,1945 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाएं

†606. श्री पी. रविन्द्रनाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा महिलाओं को इन सैन्य बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में महिला कार्मिकों की मौजूदा संख्या 41,606 है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिला कार्मिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा अता. प्र. सं. 606 दिनांक 06.02.2024

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिला कार्मिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

1. प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके भर्ती की जा रही है। सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।

2. सीएपीएफ में भर्ती होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में सभी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में छूट दी गई है।

3. केन्द्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल छुट्टी जैसी सुविधाएं सीएपीएफ की महिला कार्मिकों के लिए भी लागू की गई हैं।

4. महिला कार्मिकों की भर्ती करने के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाता है।

5. सीएपीएफ द्वारा महिला कार्मिकों के लिए क्रेच और डे-केयर सेंटर उपलब्ध कराए गए हैं।

6. यौन उत्पीड़न को रोकने और महिला कार्मिकों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है।

7. महिला कार्मिकों को भर्ती नियमों के अनुसार, पुरुष कार्मिकों के बराबर उनके कैरियर प्रोन्नयन अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में समान अवसर प्रदान किया जाता है।

8. 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी को प्रसूति पूरी होने तक उसकी नियुक्ति स्थगित कर दी जाती है।

*****